न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :– 94/2013

1. हनुमान(मृतक)
   1/1 मालीराम
   1/2 मदन
   1/3 सीताराम
   1/4 श्रीमती झूथी
   } पुत्रान हनुमान जाति जाट निवासी कल्याणपुरा पंचायत मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
   1/5 श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री हनुमान पत्नि प्रभूदयाल जाति जाट निवासी मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल मौरीजा चौमूं जिला जयपुर।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय 14/2/2023

वादी ने घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का पेश किया कि :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि साबिक खसरा नम्बर 138 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा मे से 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 है0, 262/0.19 है0, 264 रकबा 1.06 है0 मे से 0.16 है0 पश्चिम भाग कुल किता 3 रकबा 0.60 है0 वाकै ग्राम साबिक ग्राम मारखी हाल ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है।
2. वर्णित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है एवं मांग के अनुसार लगान राज में जमा कराता आ रहा है।
3. वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 136 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम साबिक ग्राम मारखी साबिक तहसील विराटनगर हाल तहसील शाहपुरा को वादी दिनांक 19.09.1975 को आवंटन समिति द्वारा आवंटन की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा दिनांक 13.01.1976 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम मारखी का विभाजन होकर उसमें से नया ग्राम कल्याणपुरा तथा विराटनगर तहसील का विभाजन होकर इसमें से नई तहसील शाहपुरा कायम की गई है इस प्रकार नया ग्राम व नई तहसील गठन होने से उक्त जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि अब ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा में आ गयी है।
4. वर्णित वादी की आवंटित खातेदारी एवं कब्जाशुदा 0.60 है0 भूमि मे से 0.16 है0 भूमि को हाल भू प्रबन्धक के समय भू प्रबन्धक कर्मचारियों अधिकारियों में गलती से गलत राजस्व रिकार्ड तैयार कर राजस्व रिकार्ड वादी की खातेदारी में गलत रूप से सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया है। इस सिवायचक खातेदारी आवंटित भूमि 0.16 है0, को बाद में आबादी भूमि कर दिया है। मौके पर इस भूमि पर वादी काबिज काश्त है एवं काबिज रहकर कृषि कार्य कर फसलों की खेती लगातार करता आ रहा है।
5. वादी की उक्त आवंटन शुदा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार वादी को प्राप्त हो गये है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया है। वादी की उक्त आवंटित भूमि नई नाप पद्धति से 0.60 है, भूमि पर वादी वैध रूप से काबिज काश्त है। हाल भू प्रबन्ध के समय भू प्रबन्ध विभाग ने वादी की खातेदारी मं मात्र हाल खसरा नम्बर 261/0.25 है0, 262/0.19 है0, कुल 0.44 है0 भूमि ही अंकित की है। जबकि वादी का लम्बे समय से 0.60 है0 भूमि पर कब्जा चला आ रहा है एवं वादी को आवंटित भूमि है, इस प्रकार वादी की खातेदारी की 0.16 है0 भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया गया जिसे बाद में आबादी मे गलत रूप से परिवर्तित कर दिया है। वादी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

की खातेदारी की 0.16 है0 आबादी भूमि को वापिस वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाने योग्य है।

वर्णित भूमि खसरा नम्बर 261, 262, 264 मे से खसरा नम्बर 264 रकबा 1.16 है0 भूमि मे से 0.16 है0 भूमि की किस्म आबादी भूमि बारानी परिवर्तन करवाने तथा इसके खातेदारी अधिकारों की वादी अपने पक्ष में घोषणा कराने का अधिकारी है।

7. खसरा नम्बर 264/1.06 है0 भूमि मे से 0.16 है0 वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि किसे गलत रूप से राजकीय आबादी भूमि गलत रूप से अंकित कर दिया है, पर से वादी को बेदखल करने के लिये पटवारी हल्का ने अर्सा 6 पूर्व दिनांक 05.04.2008 को एलानियां धमकी दी है। पटवारी हल्का ने यह भी ऐलानियां धमकी दी है कि यदि वादी का भूमि मुतदाविया के खसरा नम्बर 264 रकबा 0.06 है0 मे से जिस 0.16 है0 भूमि पर कब्जा है उसको वादी ने अर्सा 10 दिन पूर्व में खाली नही किया तो वादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने श्रीमान तहसीलदार से वादी को जेल भेजने का आदेश लेकर वादी को जेल भिजवाया जावेगा।

8. पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.04.2008 को वादी की भूमि से बेदखल करके एवं जेल भेजने की धमकी देने से तथा हाल भू प्रबन्ध विभाग के समय भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा वादी की खातेदारी की साबिक खसरा नम्बर 136 मे से रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा मे हाल खसरा नम्बर 264/1.06 है0 मे शामिल 0.16 है0 भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर देने एवं उसे बाद में आबादी भूमि दर्ज कर देने से बाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से दिनांक 25.078.2009 को जवाब पेश किया गया जिसमें वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को वादी की ओर से ही साबित करने का जाहिर किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 31.03.2022 को पुनः जवाब पेश किया जिसमें कोई विशेष तथ्य जाहिर नही किया गया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा वादी सीताराम पुत्र हनुमान सहाय तथा छीतरमल पुत्र हरदेव के शपथपत्र मुख्य परीक्षण पेश किये जाकर पेश दस्तावेज पर प्रदर्श डलवाये गये।

10. वकीलवादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रदर्श डलवाये गये दस्तावेजों का ध्यानआकर्षण कर आवंटनशुदा भूमि के मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वादीपत्र के समर्थन में पेश दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 19.09.1975 को उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के द्वारा साबिक आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी को आवंटन की जाकर वादी के हक में दिनांक 15.10.1977 को तहसीलदार विराटनगर के द्वारा नामान्तरण संख्या 148 स्वीकृत किया गया है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर हाल खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264 व 265 कायम किया जाना साबित होता है एवं आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 है0 , 262 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 रकबा 0.44 है0 वादी के नाम खातेदारी में दर्ज होना साबित होता है। हाल जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक नम्बर 136 के कायम किये गये शेष हाल नम्बर 263 से 265 सिवायचक गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। इस प्रकार वादी को आवंटित 2 बीघा 3 बिस्वा के मुकाबले 0.44 है0 भूमि ही दी गई है तथा आवंटित 2 बीघा 3 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली से 0.54 है0 भूमि होती है इससे स्पष्ट है कि वादी को आवंटित भूमि के मुकाबले 0.10 है0 भूमि कम दी गई है जबकि मौके पर वादी आराजी खसरा नम्बर 264 के पश्चिमी सीमा पर 0.16 है0 भूमि पर काबिज होना साबित होता है सलंग्न खसरा गिरदावरी के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि 264 रकबा 1.06 है0 में जो सम्वत 2043 में सिवायचक दर्ज थी तथा वादी का कब्जा था जिसे बाद में गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया गया है जबकि उक्त आराजी पर वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवंटन के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में कम रकबा दर्ज किया गया है। हालांकि वादी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 1.06 है0 मे से 0.16 है0 भूमि खातेदारी घोषणा के लिए वाद पत्र पेश किया है लेकिन मुताबिक आवंटन के रकबा का हाल मैट्रिक प्रणाली से 0.10 है0 भूमि ही कम दर्ज होना साबित होता है। मुताबिक आवंटन पत्र व वादी के नाम भरे गये नामान्तरण संख्या 148 के आधार पर वादी के हक में आराजी खसरा नम्बर 136

सहायक कलक्टर

रकबा 1.06 है0 मे से 0.10 है0 भूमि का खातेदारा काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 136 264 रकबा 1.06 है0 मे से 0.10 है0 भूमि पश्चिमी भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

नोट :- उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 14/2/2023 के अंतिम ~~(पंक्ति)~~ पैरा में दर्ज/अंकित प्रथम पंक्ति में आ०ख०नं. 136 के स्थान पर 264 अंकित/संशोधन किया जाकर, उक्त 136 खसरा नंबर को 264 पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :– 94/2013

1. हनुमान(मृतक)
   1/1 मालीराम
   1/2 मदन
   1/3 सीताराम
   } पुत्रान हनुमान जाति जाट निवासी कल्याणपुरा पंचायत मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
   1/4 श्रीमती झूथी } पत्नि हनुमान
   1/5 श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री हनुमान पत्नि प्रभूदयाल
   जाति जाट निवासी मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल मौरीजा चौमूं जिला जयपुर।

– वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय 14/2/2023

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 264 (136) रकबा 1.06 है0 मे से 0.10 है0 भूमि पश्चिमी भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14/2/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

नोट:– उक्त डिक्री दिनांक 14/2/2023 के पैरा 1 की पंक्ति संख्या 2 में अंकित खसरा नंबर 136 के स्थान पर 264 अंकित। संशोधित किया जाकर, उक्त 136 खसरा नंबर को 264 पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.